कार्यालय-...
डायरी संख्या 582
दिनांक 2-11-15

42/2015

संख्या-781/59-2-2015-25(खा)/2009

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

यो० अ० | ... | ...

02-11-15

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 28अक्टूबर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) के लिए अवशेष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-812/खा0ग्रो0बो0/प्रशि0-एस0सी0एस0पी0/2015-16, दिनांक 07-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अर्न्तगत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1,50,00,000.00 (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 70,00,000.00 (रूपये सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फांट के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इत्तर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या -83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष " 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -आयोजनागत-789-अनुसचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-कौशल सुधार प्रशिक्षण-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

/

(निर्मला श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या- 5212015/721 (1)/59-2-2015-25(खा)/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5-बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण उ0प्र0शासन।

6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

7-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजनअनुभाग 4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर पद्रेश इलाहाबाद

9- वित्त एवं लेखाधिकारी,, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

10-एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

N.Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)

उप सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 42/2015/781 /59-2-2015-25(खा)/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 का संलग्नक कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) वर्ष 2015-16 हेतु प्रावधानित रू0 150.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 70.00 लाख की वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रशिक्षण केन्द्रवार धनराशि का विवरण प्रशिक्षण लक्ष्य अनुदान संख्या-83

| क्र0सं0 | प्रशिक्षण केन्द्र का नाम | धनराशि लाख रू0 में | प्रशि0 की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ। | 8.00 | 200 |
| 2. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर | 6.00 | 150 |
| 3. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच | 5.00 | 125 |
| 4. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद | 7.00 | 175 |
| 5. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ. | 5.00 | 125 |
| 6. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा मऊ | 00.00 | 00 |
| 7. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी जालौन | 11.00 | 275 |
| 8. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर | 6.00 | 150 |
| 9. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग मथुरा | 8.00 | 200 |
| 10. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद बिजनौर | 14.00 | 350 |
| | योग | 70.00 | 1770.00 |

(रूपये सत्तर लाख मात्र)

N.Sri
(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।